

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


॥ शुद्धि-पत्र ॥

पटना-15, दिनांक- 14-7-16

संख्या-12/प0-(मू0को0) 4023/11-सा0प्र0- 9722 /विभागीय अधिसूचना सं0 9594 दिनांक 11.7.2016 के क्रमांक 1 पर अंकित पदाधिकारी श्री अनिल चौधरी, 695/11, गृह जिला-पटना के नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित "विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना (संबद्ध विभाग-कृषि विभाग तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग)" के स्थान पर "विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना (संबद्ध विभाग-कृषि विभाग तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग) अपर समाहर्ता स्तर में उत्कृष्टित" पढ़ा जाय ।

2. अधिसूचना सं0 9594 दिनांक 11.7.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



14/7/16

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0) 4023/11-सा0प्र0- 9722 /पटना, दिनांक- 14-7-16

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/ सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


14/7/16

सरकार के अवर सचिव